रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, मई 27—जून 2, 2012, शनिवार/ज्येष्ठ 6–ज्येष्ठ 12, 1934

No. 22] NEW DELHI, MAY 27—JUNE 2, 2012, SATURDAY/JYAISTHA 6—JYAISTHA 12, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 2012

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1993 में,—

(i) नियम 2 में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 3 में, "स्तंभ 5 से स्तंभ 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "स्तंभ (5) से स्तंभ (13)" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

1791 GI/2012

"अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सुरक्षा अधिकारी	01*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शतप्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** भारत सरकार के सुरक्षा सह अभिकरणों (अर्थात् आसूचना ब्यूरो/अनुसंधान और विश्लेषण खंड, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) से ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 2; 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है, अर्थात् : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य; और (ii) सुरक्षा व्यवस्था करने, सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी और आसूचना इकट्ठा करने का दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(11)

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना तब आवश्यक है जब कोई अधिकारी आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के क्षेत्र में है ।"

[फा. सं. 39021/4/2010-स्था. (ख)]

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 556, तारीख 20 नवम्बर, 1993 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 241, तारीख 7 अगस्त, 1999 और सं. सा.का.नि. 9, तारीख 12 जनवरी, 2002 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 30th May, 2012

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Security Officer) Recruitment Rules, 1993, namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Security Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Security Officer) Recruitment Rules, 1993,-

(i) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "Pay Band and Grade Pay or Pay Scale" shall be substituted ;

(ii) in rule 3, for the words and figures "column 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted ;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :

"SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Officer	01*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, (Rs. 9300—34800) plus Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
100% by deputation or absorption	**Deputation/absorption:** Officers from Security-cum-Intelligence Agencies of the Government of India (that is Intelligence Bureau/Research and Analysis Wing, Central Bureau of Investigation, Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force) :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :— (i) Bachelor's degree from a recognised University or equivalent; and (ii) two years' experience in organizing security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

	(11)
	Note 3 : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an officer amongst others is in the field of consideration for appointment on absorption basis.".

[F. No. 39021/4/2010-Estt. (B)]

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

Foot Note : The Principal recruitment rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 556, dated the 20th November, 1993 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 241, dated the 7th August, 1999 and *vide* number G.S.R. 9, dated the 12th January, 2002.

गृह मंत्रालय

(समन्वय निदेशालय)

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 18 मई, 2012

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वर्ग III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम, 1962 को, जहां तक इसका संबंध कार्यशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में कार्यशाला सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार), कार्यशाला सहायक, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

1791 GI/12-2